न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 904/2022

अनवान : —

1. अमित कुमार पुत्र कपिल कुमार जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. कपिल कुमार मान पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. स्नेहा पुत्री कपिल कुमार जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 15 जेएसएन—बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 के खाता स0 16/15 के कुल खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.3250है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 के खाता स0 32/32 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्रफल 8.0580है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 कपिल कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की कपिल कुमार जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि में, वादी व प्रतिवादी सं0 2 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है, वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हिकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वदी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 जेएसएन–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 16/15 के कुल खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.3250है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 32/32 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्रफल 8.0580है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 कपिल कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत गुड़िया का संतान संबंधी घोषणा पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 कपिल कुमार के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार [illegible] किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादीगण के प्रस्तुत द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 16/15 के कुल खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.3250है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 32/32 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्रफल 8.0580है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 कपिल कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी स0 1 तथा प्रतिवादी स0 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 904/2022

अनवान : —

1. अमित कुमार पुत्र कपिल कुमार जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. कपिल कुमार मान पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. स्नेहा पुत्री कपिल कुमार जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन—बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 के खाता स0 16/15 के कुल खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.3250है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 के खाता स0 32/32 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्रफल 8.0580है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 कपिल कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी स0 1 तथा प्रतिवादी स0 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested